

107 द प्र स

पाद श्री बरखारि

खूटी

नाथालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूटी

शिवशंकर महता की

बनाम

प्रदीप महता की

M-33 / 2018

आदेश पत्रक

15/3/18

अनिलेख संख्या -- एन. 33 / 2018, धारा :- 107 द. प्र. स.

थाना प्रभारी खूटी के अप्राथमिकी संख्या :- 12/18

80
15/3/18

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :-

जिससे संभव है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या
विपक्षी कोई ऐसा अपराधिक कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक
परिशांति क्षुब्ध हो जायेगी।

अतः मैं अनुमंडल
दण्डाधिकारी, खूटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द 10 प्र 0
स 10 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय चरण के विरुद्ध सूचना
निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए
उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध - पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों
के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

दिनांक :- 3/4/18 को उपस्थित करें।

15/3/18
अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूटी

